



LABOUR DEPARTMENT HARYANA



Home About ▾ Labour laws Duties And Functions ▾ RTS BRAP ▾ E-Services ▾ Miscellaneous ▾ SO

» Scheme Detail / इस योजना का विस्तार

Home (मुख पृष्ठ) > Scheme detail (इस योजना का)

पंजीकृत निर्माण कर्मकार की पुत्री के लिए इलैक्ट्रिक स्कूटर की खरीद के लिए प्रोत्साहन



Objective of the Scheme / इस योजना का उद्देश्य

पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री के उच्चतर शिक्षा प्राप्त करते हुए उसकी गतिशीलता को आसान बनाने के उद्देश्य से बोर्ड द्वारा 50,000/-रूपये तक प्रोत्साहन राशि इलैक्ट्रिक स्कूटर की खरीद के लिए प्रदान की जाती है।

प्रोत्साहन सहायता प्राप्त करने की शर्तें

1. एक वर्ष की नियमित सदस्यता।
2. पंजीकृत श्रमिक की पुत्री महाविद्यालय में नियमित रूप से उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रही है, इस संदर्भ में महाविद्यालय/ उच्च शिक्षा संस्थान के मुखिया द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।
3. केवल वही छात्रा जो हरियाणा राज्य के किसी उच्च शिक्षण संस्थान/कालेज में पढ़ाई कर रही हो, इस प्रोत्साहन सहायता की पात्र होगी।
4. श्रमिक की पुत्री की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए तथा शादीशुदा नहीं होनी चाहिए।
5. श्रमिक की पुत्री के पास दोपहिया वाहन चलाने का वैध लाइसेंस होना चाहिए।
6. श्रमिक के परिवार के किसी सदस्य के नाम पहले से ईंधन से चलने वाला या इलैक्ट्रिक वाहन नहीं होना चाहिए।
7. इस योजना के अधीन प्रोत्साहन सहायता एक परिवार में एक इलैक्ट्रिक स्कूटर की खरीद तक सीमित है।
8. लाभ की अधिकतम सीमा 50,000/-रूपये या वास्तविक एक्स-शोरूम कीमत, जो भी कम हो, ई-रूपये के माध्यम/रूप में दी जाएगी।

Eligibility / पात्रता

- Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
- Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 1
- Scheme For / इस योजना के लिए : All
- Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : Yes

Benefits / लाभ

Rs.50000

Process / प्रक्रिया

पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री के उच्चतर शिक्षा प्राप्त करते हुए उसकी गतिशीलता को आसान बनाने के उद्देश्य से बोर्ड द्वारा 50,000/-रूपये तक प्रोत्साहन राशि इलैक्ट्रिक स्कूटर की खरीद के लिए प्रदान की जाती है।

documents / दस्तावेज

[Download Undertaking](#)

Work Slip / काम पर्ची

[Download Work Slip](#)

Other Schemes / अन्य योजनाएं

- » पंजीकृत निर्माण कर्मकार के इलैक्ट्रिक स्कूटर की खरीद प्रोत्साहन
- » कोचिंग कक्षाओं के लिए वि
- » व्यवसायिक/तकनीकी संस्थानों में हास्टल सुविधा हेतु वित्तीय सहायता
- » विधवा पेंशन
- » कामगारों के मेधावी बच्चों (छात्रों) के लिए प्रोत्साहन राशि(10वीं और 12वीं)
- » प्रोफेशनल/टेक्निकल कोर्सेज के लिए वित्तीय सहायता
- » शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता (नियम 6)
- » बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपु (शादी के तीन दिन पूर्व) (नियम 61)
- » मातृत्व लाभ (नियम 50)
- » पितृत्व लाभ (धारा 22(1)(h))
- » औजार (टूल किट) खरीदने हेतु उपदान (नियम 55)
- » मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना (धारा 22(1)(h))
- » सिलाई मशीन योजना (धारा 22(1)(h))
- » सार्किल योजना (धारा 22(1)(h))
- » कन्यादान योजना (धारा 22(1)(h))
- » बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपु (नियम 61)
- » बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपु (नियम 61)
- » पैतृक घर जाने पर किराया (धारा 22(1))
- » मुफ्त भ्रमण सुविधा (धारा 22(1)(h))
- » अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता (धारा 22(1)(h))
- » अंपगता सहायता (नियम 59)
- » अंपगता पेंशन (नियम 54)
- » चिकित्सा सहायता(मजदूरी क्षतिपूर्ति) (नि 59)
- » घातक बीमारियों के ईलाज के लिए वित्तीय सहायता (धारा 22(1)(h))
- » मकान की खरीद/निर्माण हेतु ऋण (निय 53)
- » पेंशन की योजना (नियम 51)
- » परिवारिक पेंशन (नियम 62)
- » मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना (निय 57)
- » मृत्यु सहायता (नियम 57)
- » दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता (निय 56)